रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2015/कार्तिक 18, 1937
No. 299] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2015/ KARTIKA 18, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेष व्यापार महानिदेषालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

सं. 46/(2015–2020)

विषय : प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 9.06 में संषोधन।

फा. सं. 01/93/180/66/एएम–16/पीसी–2(ख).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया–पुस्तक के पैरा 9.06 को संशोधित करते हैं जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

मौजूदा पैराः–

पैरा 9.06 खपत रजिस्टर

आयातक प्राधिकार–पत्र के तहत आयातित मदों के लिए परिशिष्ट 4–छ (तीन वर्षो की अवधि के लिए) के अनुसार और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त और दूसरी खपत के साथ आयातित मदों के लिए अलग से एक रजिस्टर रखेंगे। विशेष स्कीमों के संबंध में, ऐसे रजिस्टर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

संशोधित पैराः–

पैरा 9.06 खपत रजिस्टरः–

आयातक प्राधिकार–पत्र के तहत आयातित मदों के लिए **परिशिष्ट 4–ज** (तीन वर्षो की अवधि के लिए) के अनुसार और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त और दूसरी खपत के साथ आयातित मदों के लिए अलग से एक रजिस्टर रखेंगे। विशेष स्कीमों के संबंध में, ऐसे रजिस्टर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

पैरा 9.06 में आने वाले परिशिष्ट 4छ को संशोधित कर परिशिष्ट 4ज के रूप में पढ़ा जाएगा।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th November, 2015

NO.46/(2015-2020)

Subject: Amendment in Para 9.06 of Handbook of Procedure (2015-20).

F. No.01/93/180/66/AM-16/ PC-2 (B).— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 9.06 of Handbook of Procedure which reads as below to be read as under:

Existing Para

Para 9.06 **Consumption Register**

Importer shall maintain a register as in Appendix-4G (for 3 years period) of items imported under an Authorisation and separately for items imported with actual user condition and its consumption. In respect of particular schemes such register shall be maintained for specified period

Revised Para :

Para 9.06 **Consumption Register**

Importer shall maintain a register, as in **Appendix-4H** (for 3 years period) of items imported under an Authorisation and separately for items imported with actual user condition and its consumption. In respect of particular schemes, such register shall be maintained for specified period

2. Effect of this Public Notice:

Appendix 4G as appearing in para 9.06 is being revised to read as **Appendix-4H.**

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.